Sixteenth Loksabha

an>

Title: Discussion on the motion for consideration of National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017 (Discussion concluded and Bill passed).

HON. DEPUTY SPEAKER: Let us take up Item no. 25 – Shri Hardeep Singh Puri.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with you permission, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved.

> "That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration."

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, यह अधिनियम एन.सी.टी., दिल्ली का सन् 2017 का दूसरा अमेन्डमेन्ट बिल है। इसका इतिहास यह है कि इससे पूर्व सन् 2006 से पहले Delhi Laws Act के नाम से एक प्रोविज़न आया था, जिसे हर साल बढ़ा दिया जाता था।

वर्ा 2006 के बाद से हर साल बढ़ते जाने के बाद वर्ा 2011 में एनसीटी ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न एक्ट, 2011 आया, जिसको हम आज प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं। वर्ा 2011 का एक्ट तीन साल के लिए बढ़ाया गया। वर्ा 2014 में उसकी मियाद खत्म हुई। वर्ा 2014 में वर्ा 2017 तक के लिए दूसरा अमेंडमेंट बिल आया। अभी जो बिल है उसके तहत इसकी मियाद को वर्ा 2020 तक बढ़ाया जा रहा है और उस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए यह बिल आया है।

14.15 hrs

(*At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

महोदय, इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली में लगातार कमर्शियल स्पेस की, पॉपुलेशन की, रखरखाव की, सैनिटेशन की, बिजली की, हर तरीके के प्रावधान की कमी हो जाती है। हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस कारण से अमेनिटीज़ कम हो जाती हैं। स्लम्स बढ़ रहे हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़ बढ़ रही हैं, कमर्शियल यूजिस

बढ़ रहे हैं, रेज़ीडेंशियल एरियाज़ में कटौती हो रही है। इन सब इनएडिक्वेसीस को हैंडल करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल के माध्यम से सब तरह के कंस्ट्रक्शन्स पर रोक लगी थी कि उनको अभी टैम्परर्ली हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। दिल्ली उन जरूरतों को पूरा करने में अक्षम रही है। वह जरूरत थी स्लम ड्वेलर्स यानी झुग्गी-झोंपड़ी के लोग, अर्बन स्ट्रीट वैंडर्स जो कि रेहड़ी-पटरी वाले हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़, विलेज आबादी जिसमें अर्बन विलेजिस इनक्लूडिड हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 67 अर्बन िवलेजिस हैं। एग़्ज़िस्टिंग फार्म हाउसिस, फार्म हाउसिस का दायरा छोटा हो गया और उसमें कंस्ट्रक्शन बढ़ गया। परमिसिबल बिल्डिंग लिमिट के बियोंड उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो गयीं। स्कूल, डिस्पेंसरीज़, रिलीज़स प्लेसिस, कल्चरल इंस्टीट्यूशन्स, स्टोरेज, वेयर हाउसिस, गोदाम, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड एग़्जिस्टिंग गोडाउन क्लस्टर्स। इसके अलावा जो स्पेशल एरियाज़ हैं, खास तौर से पुरानी दिल्ली और करोल बाग का इलाका है, ऐसे तमाम इलाके भी इनवॉल्व थे। इसके अलावा एनसीटी दिल्ली के तमाम इलाके इसमें इनवाल्व हैं। यह सब होने के बावजूद स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट बनाया गया, जिसके तहत

वैंडर्स को हटाने से रोका गया और उनका प्रोटेक्शन उस एक्ट के तहत किया गया1 क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इस कारण से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का संबंधित प्रोविज़न...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.45 pm.

… (*Interruptions*)

-

14.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hrs

The Lok Sabha reassembled at Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair.)*

माननीय अध्यक्ष : मीनाक्षी लेखी जी आप बोल रही थीं।

...(व्यवधान)

14.45 ½ hrs

(*At this stage, Prof. A.S.R. Naik and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप अपनी सीटों पर जाइए ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Minister has given you the assurance. You can have a meeting with the Law Minister. You please agree to what I am saying. जितेन्द्र जी, हाउस में ऐसी बातें नहीं होती हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 2017 के विधयेक एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस अमेंडमैंट एक्ट पर बोल रही थी और उसी को कंटीन्यू करते हुए कहना चाहती हूं कि जब मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 को बनाया जा रहा था, जब मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 का निर्माण चल रहा था, उस समय दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं सामने आईं और उन समस्याओं में यह था कि दिल्ली ज्यादा पापुलेटिड है, दिल्ली में हर साल जनसंख्या बढ़ जाती है और पूरे देश में समस्याओं से ग्रसित जो भी लोग हैं, वे दिल्ली पहुंच जाते हैं। वे यहां रोटी-रोजगार के लिए आते हैं, उनके पास व्यापार के साधन नहीं हैं, रहने के साधन नहीं हैं, पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। इन सबके कारण दिल्ली के अंदर जन सुविधाओं का लगातार प्रैशर बढ़ता चला जाता है और जन सुविधाओं के अभाव में स्लम्स बन गये, अनऑथोराइज्ड कालोनीज बन गईं, कमर्शियल सैंटर्स बन गये, रेजिडेंशियल एरियाज कमर्शियल में बदल गये और जब इन सबके कारण इन समस्याओं से जूझा जा रहा था, तब 2006 में दिल्ली लॉज अमेंडमैंट एक्ट आया और दिल्ली लॉज के आने के बाद हर साल उसकी मियाद बढ़ा दी जाती थी। लेकिन 2011 में एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के नाम से यह कानून आया और उसे तीन साल की मियाद दी गई, जो 2014 तक चली। 2014 तक नार्म्स, पालिसीज और जो काम होने थे, वे काम नहीं हो पाये तो 2014 से 2017 तक उस बिल का पहला अमेंडमैंट आया और उसके तहत उसकी मियाद को तीन साल के लिए बढ़ाया गया। अब 2017 में उसकी मियाद खत्म हो रही है। दिल्ली में जो सारी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसके आल्टरनेटिव के अभाव में दिक्कत आनेवाली थी, इसलिए सैंकिंड अमेंडमैंट बिल लाया गया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार फिर से निवेदन करती हूं कि आप यह प्लेकार्ड न दिखायें। आपने ही रूल बनाया है कि प्लेकार्ड या इस प्रकार की कोई भी चीज लेकर हाउस में नहीं आओगे। उस रूल के अंतर्गत आप अपनी कार्रवाई के बारे मे खुद ही जानो, आई एम सॉरी।

दूसरी बात यह है कि आपने जो इश्यूज उठाये हैं, माननीय मंत्री जी ने उसका जो भी जवाब दिया है, लेकिन रोज-रोज यहां एक इश्यू लाना हम अलाऊ नहीं करेंगे।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: For that also, I am telling….आप लॉ मिनिस्टर से बात करो, वह बात अरेंज करेंगे। But not like this. ऐसे ही आप बोलोगे, अभी कुछ बोलो, ऐसा नहीं होता है। I am again requesting you to say that this is against the rules. रूल के मुताबिक या तो आप अपनी कार्रवाई खुद ही समझो और खुद ही अपने ऊपर कार्रवाई करो। आप सभी समझदार लोग हो।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am again requesting you all to go back to your seats. आज यह बिल पास करना जरूरी है और वह हमें कराना ही है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी के रहते जो सही नॉर्म्स, सही पालिसीज और...(व्यवधान)

महोदया, सही नॉर्म्स, सही स्ट्रैटिजीस, सही पॉलिसी और सही कानून का निर्माण हो और उसी के आधार पर दिल्ली का िवकास, दिल्ली का पुनर्विकास हो पाए, इस कारण से इसकी मियाद बढ़ानी पड़ रही है। ...(व्यवधान) खास तौर पर इस कानून के अंदर जो सर्वे का प्रावधान था, वह दिल्ली सरकार को करना था। ...(व्यवधान) दिल्ली सरकार ने अपनी मजबूरी बताई और इसके समय अनुसार वे नहीं कर पाए हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 17 मई, 2017 को एक इस प्रकार का एफिडेविट दिया कि उनको दो साल का समय और दिया जाए यानी सन् 2019 तक का समय और चाहिए और उसी के रहते उन्होंने यह चिट्ठी शहरी विकास मंत्रालय को भी लिखी और जो सर्वे की कमी है, जो डाटा की कमी है, उसके रहते उस पर काम नहीं किया जा रहा है और इसलिए यह अमेण्डमेंट बिल लाया गया है। ...(व्यवधान) इस अमेण्डमेंट बिल में सही पॉलिसी के निर्माण के लिए जो समय चाहिए, इसकी गुंजाइश है और प्रकियाओं को सरल किया जाए, ताकि पुनर्विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, सन् 2021 का जो मास्टर प्लान है, उसमें हम जनता के सामने उपलब्धियां ला सकें और उस पॉलिसी को फाइनलाइज़ कर सकें। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया चलती है तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स होते हैं, जैसे इस प्रक्रिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर दिल्ली सरकार है। ...(व्यवधान) दिल्ली सरकार को पूरी दिल्ली का सर्वे कर के वह सारा डाटा उपलब्ध कराना है। ...(व्यवधान) साथ ही डीडीए, क्योंकि ज़मीन की लैण्ड ओनिंग एजेंसी डीडीए है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, जल बोर्ड है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं और उन सबकी जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, वह शहरी विकास मंत्रालय है। ...(व्यवधान) जब इतनी सारी बॉडीज़ को, इतने सारे लोगों को, प्रशासनिक रूप से इकट्ठा काम करना पड़ता है तो उसकी कुछ समस्याएं रहती हैं और इसी के चलते बार-बार समय की मियाद को बढ़ाया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसका मुख्य कारण सर्वे की अनउपलब्धि है, जो डाटा नहीं मिल पा रहा है, उसके बिना यह काम पूरा नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) स्टेकहोल्ड्र्स को काम करने के लिए अधिक समय चाहिए। ...(व्यवधान) इस एक्ट की वैलिडिटी, जो सन् 2011 की थी, केवल लिमिटिड समय के लिए उसकी मियाद को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अनऑथराइज्ड डेवल्पमेंट को एक प्रकार का प्रोटैक्शन मिला हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सात प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें प्रोटैक्शन उपलब्ध है। ...(व्यवधान) सबसे पहला तो झुग्गी-झोंपड़ी क्लस्टर है। ...(व्यवधान) आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या बहुत अधिक है और उनके पुनर्विकास का प्रोसेस भी चल रहा है। ...(व्यवधान) जिसके अंदर तीन पुनर्विकास प्लान तो केंद्रीय सरकार कर चुकी है, उसकी शुरूआत हो चुकी है। ...(व्यवधान) एक तो मेरे ही संसदीय क्षेत्र में कठपुतली कॉलोनी का है, ऐसे ही साउथ दिल्ली के अंदर दो और हैं, वहां पर काम शुरू हो चुका है। ...(व्यवधान) दूसरा प्रोटैक्शन स्ट्रीट वैंडर्स का है, यानी जितने रेहड़ी-खोमचे वाले लोग हैं, जो

अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के लोग हैं, उनको भी प्रोटैक्शन उपलब्ध था। ...(व्यवधान) अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, गांवों की जो आबादी है, क्योंकि आज दिल्ली के अधिकृत गांव, गांव न रह कर शहरीकृत गांव हो गए हैं और शहरीकृत गांवों की जो हालत है, वह किसी स्लम से बढ़ कर ही है, घट कर नहीं है। ...(व्यवधान) इन सभी हालातों में उन शहरीकृत गांवों के समय की मियाद को भी बढ़ाना आवश्यक था। ...(व्यवधान) दिल्ली में फार्म हाऊसेज़ हैं। ...(व्यवधान) ज़मीन कम होने के कारण ढाई एकड़ के फार्म कई-कई जगहों पर परिवार के भीतर ही दो-दो जगहों पर बंट चुके हैं। ...(व्यवधान) दो या तीन फार्म बन चुके हैं। ...(व्यवधान) वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। उसी के रहते इसको टैंपरेरी तौर पर बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान) स्कूल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़े हैं, किसी भी शहर के लिए। ...(व्यवधान) रिलीजस स्ट्रक्चर्स हैं और क्लचरल इंस्टिट्यूशंस हैं। ...(व्यवधान) स्टोरेज की जगह हैं, गोदाम हैं और कहने को एग्रीकल्चर इलाका है यानी किसान की भूमि है, लेकिन उसके ऊपर गोदाम से ले कर तमाम तरह के शहरीकृत गांवों में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो कि दिल्ली शहर की लाइफ लाइन है तो उनको भी इसमें टैंपोरेरी प्रोटैक्शन दिया हुआ है। ...(व्यवधान) खास तौर पर जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, करोल बाग का इलाका है, ऐसे जो पुराने बसे हुए इलाके हैं, पहाड़गंज का इलाका है, उनको भी प्रोटैक्शन दिया गया है। ...(व्यवधान) एनसीटीडी दिल्ली को ये सब प्रोटैक्शन दिया गया है। ...(व्यवधान) इसमें जो एक्सेप्शन है, वह सेफ्टी को ले कर है और रैसिडेंशियल इलाकों के अंदर जो है, वह एक्सैप्शन है। ...(व्यवधान)

महोदया, यह एक्ट केवल पुराने एक्ट के समय को बढ़ा रहा है।...(व्यवधान) इसके पीछे जो मंशा है, वह दिल्ली के सुधार की है।...(व्यवधान) हम अपने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के सक्सेसर्स मानते हैं, लेकिन जो दिल्ली की हालत हुई है, वह पाप कर्म अभी तक चल रहा है।...(व्यवधान) उसको समयानुसार ठीक करना जरूरी है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अपने इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय, जो इसी से जुड़ा हुआ है, उसे आपके सामने लाना चाहती हूँ।...(व्यवधान) वह विाय यह है कि जितनी मार्केट्स सुप्रीम कोर्ट के कानून के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब मैटर को टेकअप किया तो भूरे लाल कमेटी के माध्यम से जितने भी मार्केट एरियाज हैं, वे मेरे क्षेत्र में बन्द हुए हैं।...(व्यवधान) सभी की सीलिंग हो गई है।...(व्यवधान) वह सीलिंग ऐसे समय पर हुई है, जहाँ वर्ा 2006 के अंदर तत्कालीन जो सरकार थी, उसने 89 हजार रुपये का रेट फिक्स किया था।...(व्यवधान) यह रेट काफी ज्यादा है।...(व्यवधान) उस रेट को कम करके हम लोगों ने वर्ा 2014 में माँग की कि डीडीए उसको 22 हजार कर दे।...(व्यवधान) उस पर कार्रवाई, नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण इस तरीके की समस्या आई है।...(व्यवधान) जो इससे भी बड़ा विाय है, वह यह है कि जो रेजीडेंशियल प्लाट्स हैं, जैसे डिफेंस कालोनी है, ग्रेटर कैलाश है, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर को दुकान में तब्दील करता है, बड़े-बड़े शोरूम बनाता है, तो उसका रेट केवल 6,146 रुपये है।...(व्यवधान)

उसका रेट 6,146 है, जो कि बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जो छोटी-छोटी दुकानें हैं, उसका रेट 22 हजार है।...(व्यवधान) सबका कामर्शियल रेट, कन्वर्जन चार्ज एक ही होना चाहिए।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगी कि जब वे इस मैटर को टेकअप करें तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट इतने अच्छे-अच्छे काम कर रही है, इस काम में भी सहयोग करके एक ही रेट पूरे क्षेत्र के लिए मुकर्रर करें।...(व्यवधान) लोकल शापिंग एरियाज जो वर्ा 2001, 2012, 2014 से लगातार बदले हैं, उन सबको एक समान व्यवस्था के तहत निर्धारित कर दे।...(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान) दिल्ली देश की राजधानी है।...(व्यवधान) सरकार के द्वारा यह बिल डेट बढ़ाने के लिए लाया गया है।...(व्यवधान) यह बड़े शर्म की बात है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कीजिए, यह तो चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदया, बीज ही इन्होंने बोये हैं।...(व्यवधान) बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों को जिस समस्या को फेस करना पड़ रहा है, उसकी जननी कांग्रेस है।...(व्यवधान) ये लोग सत्ता में थे और सत्ता में रहते हुए अनऑथराइज्ड कालोनियाँ तीन बार, 15 साल तक इनकी दिल्ली में सरकार रही, केन्द्र में ये लोग दस साल तक बैठे रहे और उसके बाद उन कालोनियों को पास नहीं किया गया।...(व्यवधान) उसके बाद एक ऐसे... * जिन्हें दिल्ली का एक ले-आउट प्लान बनाना है और बनाने के बाद सिविक एजेंसी के नाम से उनको देना है।...(व्यवधान) देने के बाद दिल्ली का जो मास्टर प्लान 2021 है, उसको लागू करना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : उसको लागू करने के बाद जो दिल्ली के लोग भ्रटाचार के कारण, ब्यूरोक्रेसी की भ्रटाचारी, क्योंकि वे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि ये लोग 55 साल तक सरकार में रहे, डीडीए का काम लोगों को मकान बनाकर देने का था, पिछले 55 साल में डीडीए लोगों को मकान नहीं दे पाया।...(व्यवधान) दिल्ली में बाहर से जो लोग रोजी-रोटी की तलाश में आए थे, उनको रहने के लिए घर चाहिए था, जो दिल्ली के किसान थे, उनको कांग्रेस के जमाने में सरकार ने ठीक तरह से मुआवजा नहीं दिया।...(व्यवधान) उन लोगों को मजबूरी में सस्ते मुआवजे के डर के कारण अपनी जमीन फ्री होल्ड के रूप में बेचनी पड़ी,...(व्यवधान) जिससे दिल्ली के अंदर अनधिकृत कालोनियाँ बस गईं,...(व्यवधान) जिन्हें अनियमित कालोनी बोलते हैं।...(व्यवधान) वर्ा 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुराना जी के नेतृत्व में बनी थी, उसने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली की सभी 900 कालोनियों को पास कर दिया।...(व्यवधान) केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधान मंत्री थे, वे कालोनी वे पास ही नहीं कर पाये।...(व्यवधान) खुराना साहब ने एरियल सर्वे करवाया था।...(व्यवधान) उस एरियल सर्वे के अनुसार कालोनियाँ पास होनी चाहिए, लेकिन गलती से प्याज के कारण कांग्रेस की सरकार वर्ा 1998 में आ गई और कांग्रेस के लोगों ने, भू-माफियाओं ने उसके बाद दिल्ली की एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अनेक प्रकार की कालोनियाँ बसा दीं।...(व्यवधान) बसाने के बाद कांग्रेस ने उन कालोनियों को पास तो नहीं किया, लेकिन पास न करने के बाद हर साल उसकी डेट बढ़ाते रहे, जब चुनाव आते रहे।...(व्यवधान) ऐसा उन्होंने वोट बैंक की खातिर किया।...(व्यवधान) जिसके कारण आज दिल्ली के अंदर लगभग 2,639 अनधिकृत कालोनियाँ बस गई हैं।...(व्यवधान) अब उन कालोनियों में गरीब लोग रहते हैं।...(व्यवधान) वे गरीब लोग रहते हैं, जो रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली के अंदर आए थे।...(व्यवधान) वे आशियाना बनाकर रहते हैं।...(व्यवधान) दिल्ली में यह जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके संसद में तीन या चार एम.पी. हैं, वे सारे गायब हैं।

15.00 hrs

क्या उनको मालूम नहीं था कि 31 दिसम्बर, 2017 के बाद वह एक्ट समाप्त हो रहा है।...(व्यवधान) दिल्ली में गरीब लोगों के ऊपर तलवार लटकेगी, गरीब लोगों के मकान गिराए जाएंगे। ...(व्यवधान) कांग्रेस के लोग इसे गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं,...(व्यवधान) इसका मतलब है कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों को ये लोग पहले से ही मारना चाहते थे, दिल्ली को पहले से ही बर्बाद करना चाहते थे; वरन् श्री खड़गे साहब को चाहिए था कि वे लोग इस बिल के अंदर पार्टिसिपेट करें और दिल्ली के गरीब लोगों की समस्याओं को सामने ले कर आएं।...(व्यवधान) सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, सरकार को कह कर कि इस बिल को पास करके लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

मैडम, इस बिल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह पहली बार वर्ा 2006 में आया था।...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि तब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी, केन्द्र में भी और एमसीडी में भी; तीनों ही जगहों पर कांग्रेस थी।...(व्यवधान) कांग्रेस लोगों को केवल लॉलीपॉप देने के नाम पर एक साल के लिए बिल लेकर आ गई।...(व्यवधान) वर्ा 2006 के नाम से दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2006 आया,...(व्यवधान) क्योंकि; उसके बाद दिल्ली में निगम का चुनाव होना था, यह एक साल के लिए बढ़ा दिया गया, वर्ा 2008 में असेम्बली का चुनाव था, इसलिए इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया, वर्ा 2009 में लोक सभा का चुनाव था तो फिर एक साल के लिए

बढ़ा दिया, इस प्रकार कांग्रेस* ... करती चली गई।...(व्यवधान) जब वर्ा 2011 में देखा कि वर्ा 2012-13 में असेम्बली का चुनाव होना है तो वह इस बिल को वर्ा 2011 के बाद तीन साल के लिए नेशनल कैपिटल टेरेटरी प्रोविज़न एक्ट के रूप में लेकर आयी।...(व्यवधान) उसके बाद उन्होंने तीन साल के लिए यानी वर्ा 2014 तक के लिए एक्टेंशन दे दी, लेकिन वर्ा 2014 के एक्सटेंशन के बाद, दिल्ली के नि वासियों का यह दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक... * मुख्य मंत्री आ कर बैठ गया है। ...(व्यवधान) जिन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देकर कहा कि मैं फ्री पानी व सस्ती बिजली दूँगा।...(व्यवधान) आज पानी का दाम 33 पर्सेंट बढ़ा दिया गया है, जब कि वह आदमी फ्री पानी के नाम से सत्ता में आया था।...(व्यवधान) उस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में, आज तक उन्होंने ले-आउट बनाकर नहीं दिया।...(व्यवधान) उन्हें एमसीडी को प्लान बनाकर देना था, उसकी बाउंड्री फिक्स करनी थी।...(व्यवधान) जिसके कारण इन कॉलोनियों को पास करना था।...(व्य वधान) हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया हुआ है, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास मत करो।...(व्यवधान) हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर डायरेक्शन दी हुई है कि दिल्ली की जितनी अनियमित कॉलोनी हैं, सरकार श्योरिटी दें कि उनको बेसिक अमेनेटिज़ प्रोवाइड कराएगी तो हम उनको पास कर देंगे।...(व्यवधान) यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है।...(व्यवधान)

मैडम, यह बहुत ही सेंसटिव मामला है, दिल्ली से रिलेटेड है।...(व्यवधान) अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, तीन साल से श्री केजरीवाल की सरकार बैठी है।...(व्यवधान) आज तक उन्होंने कितनी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली है? ...(व्यवधान) इसलिए, कॉलोनी पास नहीं हो रही हैं। उन्होंने कितनी सड़कों को बनाया है? ...(व्यवधान) जिसके कारण लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है।... (व्यवधान) दिल्ली के लोग भय की वातावरण में जी रहे हैं।...(व्यवधान) अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, भूरे लाल कमेटी दोबारा फाउंड कर दी गई।...(व्यवधान) उस कमेटी ने आनन-फानन में काम किया, ...(व्यवधान) अभी नई दिल्ली से हमारी माननीय सांसद बहन मीनाक्षी जी बोल रही थी, वह बहुत क्लियर कह रही थी, ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि जो कंवर्ज़न चार्ज नब्बे हजार रुपये कांग्रेस के जमाने में तय किया गया था, ...(व्यवधान) अब हमारी सरकार ने आनरेबल मंत्री जी से बात की है, ...(व्यवधान) उसको घटाकर कम करने की बात की जा रही है। अगर उसको घटा कर 20 या 22 हजार रुपये तक भी ले आएं, तो लोग देने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन करूँगा कि उसकी जो समय सीमा है, ...(व्यवधान) उसको बढ़ाकर आठ या दस दिन का टाइम दिया जाए, वे पैसा जमा करा देंगे और प्रोटेक्टेड हो जाएंगे।...(व्यवधान) मैं इस बिल के माध्यम से एक अन्य निवेदन करना चाहूँगा, ...(व्यवधान) जो लोग अनियमित कॉलोनियों में रहते हैं, जिन्होंने अपने घर की जमीन में अपना घर बना लिया, उनको जो प्र ोटेक्शन है, ...(व्यवधान) उनको इन्फोर्समेंट से जो सुरक्षा देनी है, ...(व्यवधान) वर्ा 2014 से लेकर वर्ा 2017 तक हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने व माननीय श्री वैंकेय्या नायडू जी ने जो प्रोटेक्टेड एक्ट, 2014 बनाया था, ...(व्यवधान) उसे दिसम्बर 2017 तक बढ़ाया गया था। उन कॉलोनियों में रहने वाले जो लोग हैं, ...(व्यवधान) केवल ॲथोराइज्ड कॉलोनी स्टैंड करती है, जो वर्ा 2002 में स्टैंड करती थी, उसमें कुछ लोगों ने छोटे-छोटे मकान बना रखे हैं; एक कमरा, दो कमरा, उसको उन्होंने वर्ा 2007 में बनाया था।...(व्यवधान) आज बेटा बड़ा हो गया, वे तीन कमरे बनाना चाहते हैं।...(व्यवधान) उन कॉलोनियों के बीच में, आनरेबल मिनिस्टर साहब, इनके प्रोटेक्शन को बढ़ा वर्ा 2020 तक करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।...(व्यवधान) क्योंकि, हमारे मोदी साहब कहते हैं कि दलित, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित वर्ग के लिए यह सरकार काम कर रही है।...(व्यवधान) अभी संविधान की... * कर रहे थे।...(व्यवधान) अंबेडकर जी के बारे में, चाहे भारत रत्न मिला, श्री वी.पी.सिंह की सरकार में श्री अटल जी और श्री आडवाणी जी के प्रयास से उनको मिला।...(व्यवधान) उसके बाद, अगर हम गरीबों की बात करें, तो गरीबों को हक तथा अधिकार मिल रहा है।...(व्यवधान) आज उनके घर में चाहे बाथरूम बनाने की बात हो, चाहे हर गरीब को मकान देने की बात हो, ...(व्यवधान) इस काम को मोदी सरकार कर रही है।...(व्यवधान) इसलिए, मेरा निवेदन है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब एक्सटेंडेड आबादी ऑफ विलेजेज़ और जो अनियमित कॉलोनी है, ...(व्यवधान) उसकी डेट बढ़ा कर जो रिहैब्लिटेशन की गई है।

उसको बढ़ाकर 2020 यह सरकार करेगी, ऑनरेबल मंत्री करेंगे।...(व्यवधान) ऑनरेबल मंत्री जी गरीब की पीड़ा को समझते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स गुमराह करते हैं। ...(व्यवधान) उनके अपने इंट्रेस्ट होते हैं। ...(व्यवधान) वे चाहते हैं कि अगर यह बन गया तो ब्यूरोक्रेट जाकर उनके घरों में, दिल्ली के अन्दर यह एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, 81 और 33, उस 81 के अन्दर मेरी जमीन है। ...(व्यवधान) मैं अपनी जमीन पर घर बना रहा हूं। ...(व्यवधान) मुझे धमकी देते हैं कि 81 के अन्दर उसको हम वेस्ट ग्राम पंचायत में कर

देंगे। ...(व्यवधान) जो आदमी खरीदता है, वह तो अधिकारियों को पैसे दे देता है। ...(व्यवधान) जो अपने घर का मकान बना रहा है, जो गरीब है, किसान है, वह पैसे नहीं देता है। ...(व्यवधान) उसकी जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट करके वहां डिमोलिशन कर दी जाती है। ...(व्यवधान) दिल्ली के अन्दर ऐसी 70 पर्सेंट जगहें हैं, जहां पर मकान बने हुए हैं, लेकिन डिमोलिशन 20 या 30 पर्सेंट हो करके, वेस्ट दिखाकर पैसे ऐंठते हैं और बदनाम पॉलिटिशियन होते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि अपने निजी मकान के अन्दर, अपनी जमीन पर मैं मकान बना रहा हूं, तो मुझे उसकी प्रोटेक्शन दिसम्बर, 2017 तक मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द। ...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Speaker Madam, I am thankful to you because you have given me an opportunity to speak on this subject. This Constitution amendment Bill, that is, the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill 2017 is necessary because the time limit is going to expire by 31st December 2017.

माननीय अध्यक्ष : आप मेंबर और मेरे बीच में बाधित हो रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। मेंबर और मेरे बीच में बाधित मत बनिए, बीच से हट जाइए।

…(व्यवधान)

Hon. Speaker: This is not fair. He is speaking; I must see him.

… (*Interruptions*)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN: My point is that we do not belong to the Municipal Corporation of Delhi or the urban area of Delhi; we belong to rural areas of India. Our concern is that in different newspapers news has come that the State Government is saying that any construction within the Delhi area can be taken up after getting permission from the State Government. This is one school of thought. … (*Interruptions*) But the Central Government in Supreme Court pleaded that Delhi was not a State and the Constitution does not vest any exclusive executive power on the State Government. … (*Interruptions*) This is the approach of the Centre. The Solicitor General is also telling that since the national Capital Territory belongs to the entire nation, the Central Government has got the right to act in certain laws.

I think the amendment Bill deals with seven points and every point is genuine and in time bound manner it is fixed. But the question is what the role of the Central Government is and how they can take the

opinion of the State Government so that things may be implemented properly. … (*Interruptions*) It is because the State Government and the Central Government are both representatives of the people. So, every representative's duty is development of the nation. My concern is how there can be a combination or cooperation between the Centre and the State. … (*Interruptions*) Therefore I request through you that the hon. Minister should take cognizance of the State Government's opinion and accordingly they should move forward for the development of the people of Delhi. Thank you.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : स्पीकर मैडम, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना पार्टी के सदस्य जो यहां शोर मचा रहे हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप 365 दिनों में से 250 से 265 दिन दिल्ली में रहते हैं। यह दिल्ली से संबंधित विाय है। जो गांव में रहते हैं उनसे संबंधित विाय है, जो गरीब लोग हैं उनसे संबंधित विाय है। मैं तेलंगाना पार्टी के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने हाई कोर्ट की बात दिल्ली के विाय के बाद रखिए। जब दिल्ली में गरीब आदमी का विाय चल रहा हो ...(व्यवधान) जब किसान का विाय चल रहा है, ये लोग दिल्ली का पानी पीते हैं, दिल्ली में सांस लेते हैं, दिल्ली के विाय में दखल देते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

मैं सभी सदस्यों को दिल्ली की कहानी बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अगर किसी सदस्य ने कभी नहीं सुना होगा, वर्ा 2006 में दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी तब दिल्ली शॉपिंग मॉल बनने शुरू हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मोनिटरिंग कमेटी बनाई थी जिससे दिल्ली में सीलिंग होनी शुरू हुई। सारी शॉप्स और कॉलोनियां सील होने लगी, उसके बाद दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया, ...(व्यवधान) मगर आज भी पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में सीलिंग चल रही है। मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बिल को एक्सटेंड करने की वजह से दिल्ली के लोगों को लाभ मिलेगा, ...(व्यवधान) उनको राहत मिलेगी और सिलिंग की कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। वह कैसे मिलेगी? दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड में अगर हॉस्पीटल बना है, अगर स्कूल बना है, अगर फार्म हाऊस बना है, ...(व्य वधान) अगर सरकार कहती है कि अवैध है तो यह उन आदमियों की कोई गलती नहीं है जिनके घर हैं, मकान हैं। यह सरकार की गलती है, दिल्ली में 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने आज तक कोई कानून नहीं बनाया। ...(व्यवधान) दिल्ली में 70 लाख लोग 1700 कॉलोनियों में रहते हैं आज भी उनकी कॉलोनी ऑथराइज्ड नहीं है।

मैडम, इनकी वजह से मुझे तेज बोलना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, मैं सुन रही हूं, आप आराम से बोलिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: स्पीकर मैडम, अगर किसी भी सदस्य का बीपी बढ़ गया तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है। ...(व्यवधान) मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को सवा तीन साल पूरे हो गए, ...(व्यवधान) वह गरीब लोगों का वोट लेकर सपने दिखाकर गद्दी पर पहुंचे, मगर सवा तीन साल में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई, दिल्ली में एक भी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ा। ...(व्यवधान) दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले को मकान नहीं मिला। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ...(व्यवधान) इसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अगर आज-कल छतरपुर एरिया में सिलिंग हुई, दो दिन पहले डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में सिलिंग हुई। दिल्ली में लोग डर रहे हैं, ...(व्यवधान) वे सो नहीं पा रहे हैं उनको लगता है कि कल मेरा नम्बर आएगा। कल मेरी दुकान की सिलिंग हो जाएगी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास किया जाए और दिल्ली के ऑनआथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइडज्ड करने के लिए, गांव का लाल डोरा बढ़ाने के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के मकान दिलाने के लिए इस बिल में शामिल करें, ...(व्य

वधान) उनको राहत दें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं। ...(व्यवधान) दिल्ली में कोई भी स्लम पॉलिसी नहीं है। दिल्ली में ऑनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए पॉलिसी नहीं है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

र्वा 2007 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, अनआथोराइज कॉलोनियों को प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बांटे। क्या दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास हुई? यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉलोनियों को पास करे, विकास करे, कॉलोनियों में बिजली दे, पानी दे, सड़क दे, सीवर दे। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें फेल हो गई। दिल्ली सरकार की नाकामी से दिल्ली में सीलिंग की तलवार लोगों पर लटकी हुई है।...(व्यवधान)

आज आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि दिल्ली में पानी का 30 प्रतिशत दाम बढ़ गया है। वे कॉलोनियों तो पास नहीं कर पाए, गरीबों को सुविधा नहीं दे पाए लेकिन पानी का बिल 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है और पूरे देश में कहते हैं कि हम दिल्ली को मुफ्त में पानी देते हैं। ...*

माननीय अध्यक्ष जी, 31 दिसंबर को यह एक्ट एक्सपायर हो रहा था, मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसे 1 जनवरी, 2020 तक बढ़ाकर दिल्ली को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनकी प्रशंसा करता हूं।...(व्यवधान) जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में प्रजीडेंट रूल था, माननीय वैंकेया नायडु केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे, वह र्वा 2014 में बिल लेकर आए थे। यह बिल पहली बार लेकर आए थे, पूरी दिल्ली को सुरक्षित किया था कि 2014 तक जो भी अनऑथोराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन है, गांव में कंस्ट्रक्शन है, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। ...(व्यवधान) इसका र्वा 2017 तक टाइम था।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को बुलाइए, एमसीडी को बुलाइए, डीडीए को बुलाइए, हम कब तक तारीख बढ़ाते रहेंगे? र्वा 2006 से 2017 तक 11 साल हो गए हैं, तारीख बढ़ती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के एक करोड़ लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं लेकिन कोई बिल्डिंग बाए लॉज़ नहीं है। ...(व्यवधान) वे अपने मकान का नक्शा पास नहीं करा सकते। कानून की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होने के बावजूद वे मकान बनाते हैं तो वहां सरकारी लोग आते हैं और ये लोग उनको पैसा देते हैं। इस तरह से सरकारी अधिकारी उनसे पैसा लेकर जाते हैं। ये लोग मकान अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, रोजी-रोटी कमाकर बनाते हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली में मकान बनाने की कोई पॉलिसी नहीं है, अनऑथोराइज कॉलोनियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, गांव के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, झुग्गी-झोपड़ी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, यही कारण है कि गरीब आदमी दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से पैसे देकर मकान बनाता है, झोंपड़ा बनाता है। ...(व्यवधान) पॉलिसी न होने की होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी वहां जाकर सीलिंग कर देती है। यह ठीक नहीं है, गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2011 के एक्ट में क्लॉज़ 2 के सैक्शन 4 में कहा गया है -

"In respect of all other areas within the National Capital Territory of Delhi, as on 8th February, 2007, shall be maintained."

मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 8 फरवरी, 2007 को बढ़ाकर 2014 तक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अनऑथोराइज कॉलोनियों की तारीख 2014 रखी गई थी यानी र्वा 2014 तक जो भी मकान बने हैं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट करके कट ऑफ डेट को 2017 कर दें ताकि अनऑथोराइज कॉलोनियों और गांवों में जो गोदाम, मकान, स्कूल बने हैं, जो डिस्पेंसरियां बनी हैं, टूटने से बच जाएं।

कांग्रेस के लोग केवल यहां सदन का समय खराब करने के लिए और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। मैं तेलंगाना पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का विाय आएगा तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have been called to speak on The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसलिए आप सब इनके सामने मत आइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजीव सातव जी, आप माननीय सदस्य के सामने मत आइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब माननीय सदस्य को बोलने में बाधित मत कीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I protest that I have been called so late to speak after three BJP Members and one BJD Member have spoken. This is my first protest.

My second protest is that Bills should not be passed in a din – neither this Bill nor the GST Bill. Thirdly, in a situation where an hon. Minister of the Central Government and the hon. Minister of State for Skill Development has openly attacked the Constitution, insulted Dr. B.R. Ambedkar and called those who are secularists, as people who do not know about their parents, there is no point in speaking about it. The hon. Minister has insulted the whole Constitution. This whole Parliament has been called to shame. That is why, I am refusing to speak on The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017. You are the hon. Speaker of this House. Do not make it a practice to pass the Bill in a din. The whole House is standing here and so many people are protesting. You should not pass the Bill in a din. You rather call the hon. Minister, chastise him and pull him up for insulting the Constitution. How can he, merely the hon. Minister of State for Skill Development, insult Dr. Ambedkar and the makers of the Constitution and then, come to the House and speak about this.

Madam, that is why, I am refusing to speak on this Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, मगर रोज-रोज हाउस को इस प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता। बाकी सब लोग इस डिबेट में भाग लेना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए यह बिल आवश्यक है और 31 तारीख से पहले यह बिल पास करना भी आवश्यक है। इसलिए आप सहयोग कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बाकी लोग बोलेंगे और बिल पास करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली विधियां (विशेा उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, सरकार इस संशोधन द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान, 2017, डीडीए, एमसीडी के नियमों में मुख्यतः संशोधन करना चाहती है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। केन्द्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, दिल्ली विश्विविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या अगल-बगल के लोग है, वे सब दिल्ली में आकर रहते हैं। आज दिल्ली में पिछले दस-पन्द्रह वाोंं से आबादी बढ़ी है, उससे आवासीय सुविधा भी मूलतः समाप्त हो चुकी है। यहां लगभग 1700 के करीब अनाधिकृत कालोनियां हैं। स्लम सैक्टर में जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण भी बहुत बढ़ा है। आवागमन का भी साधन नहीं है। जब से मेट्रो बनी है, तब से कुछ राहत मिली है। आज दिल्ली में भयंकर प्रदूाण का प्रकोप है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का जीना मुश्किल है। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरुरत है। एनजीटी भी अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं निभा रहा है। खासकर वाहनों का दबाव इतना अधिक है कि प्रदूाण पर रोक नहीं लगायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, आज दिल्ली की सबसे प्रमुख समस्या अनाधिकृत कालोनियों के विकास से संबंधित है। दिल्ली में करीब 1700 अनाधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें करीब 80 लाख लोग रहते हैं। उनमें हमारे राज्य के भी पांच से दस लाख लोग रहते हैं। अनधिकृत कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से काफी परेशानी होती है। पहले मास्टर प्लान 2020 लाया गया, अब पुनः मास्टर प्लान, 2021 बन गया है। वहां पर सभी सुविधाएं हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेट्रो की पहुंच हर इलाके में होनी चाहिए, डीटीसी की सुविधा पूर्णरूपेण होनी चाहिए, पीने के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए और सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में जो व्यवस्थाएं नहीं हैं, वे होनी चाहिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए केन्द्र द्वारा समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। आज केन्द्र और राज्य के बीच जो मतभेद का माहौल बना है, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल एवं केन्द्र सरकार के बीच हमेशा हितों की टकराहट हो रही है। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि दिल्ली की समस्याओं के निदान के लिए जो बिल आप लाएं, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: दुयंत चौटाला जी, क्या आप इस बिल पर बोलना चाहेंगे? यह बिल दिल्ली के बारे में है।

-

श्री दुयंत चौटाला(हिसार): मैडम, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम हिस्सा ऐसा है जो आज खेती-बाड़ी को जीवित रखकर बैठा है, जिस दिल्ली को चौधरी देवीलाल ने बचाने का काम किया था, अन्यथा डीडीए और एमसीडी ने एक समय ऐसी हालत पैदा कर दी थी कि 75 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार किसान की जमीन कब्जा करने का कार्य कर रही थी।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब हम इस बिल की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार की फेल्योर सामने आ रही है कि वा 2011 से 2014, वा 2014 से 2017 और आज वा 2017 से लेकर 2020 तक हमें दिल्ली के कानूनी दायरे को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदया, वा 2021 का मास्टर प्लान, जो कोर्ट के दिशानिर्देशानुसार सरकार को बनाना चाहिए था, आज सरकार उसे पूरी तौर पर नहीं बना पाई है और वा 2021 हमारे बहुत पास है। आज अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें तो वा 2031 तक के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं और हरियाणा में गुड़गांव जैसे शहर को वा 2035 तक डेवलप कर गए थे। आज जो जरूरी चीज देखने वाली है,

माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, इस मास्टर प्लान से हम गरीब आदमी को राहत दिलाने का काम करें। मैं प्रवेश जी की बात का समर्थन करूंगा, उन्होंने कहा कि आपकी जो लिमिटेशन्स हैं, उसको वर्ा 2011 से 2014 और 2014 से 2017 करने का काम करें, मगर माननीय मंत्री जी इस चीज पर भी विचार करें कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा गैरकानूनी काम कर रहा है तो वह हमारा सरकारी महकमा कर रहा है। आज ईस्ट किदवई नगर डेवलप कर दिया गया, लेकिन सड़कों की एक्सपैंशन नहीं की गयी। वहां 2000 नए सरकारी निवास बना दिए गए, लेकिन वहां कोई एक नया रास्ता नहीं बनाया गया है। आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से अगर कोई सबसे बड़ा डेडलॉक होगा तो वह आपका एनबीसीसी द्वारा बनाया गया ईस्ट किदवई नगर होगा। आज एक गरीब आदमी के घर पर जेसीबी चल जाती है, सीलिंग हो जाती है, लेकिन जब सरकार ही कानून का फायदा उठाकर ऐसे काम करती है तो उसके लिए भी सरकार को जवाब देने की जरूरत है। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। कल डीडीए द्वारा एक ब्लाइंड हॉस्टल तोड़ दिया गया। वह अन्धे बच्चों का हॉस्टल था, वे लोग कागज नहीं दिखा पाए, इसलिए सरकार ने वहां अपना लोहे का पंजा चलाने का काम किया। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि आने वाले समय में, तीन साल का एक्सटेंशन हम इस बिल के माध्यम से दे रहे हैं, तो उन लोगों को राहत जरूर मिलेगी, जो आज कहीं न कहीं इन मुद्दों पर प्रताड़ित और शोाित हैं। जब भी सुनने में आता है कि सीलिंग हो रही है, जेसीबी से तोड़-फोड़ हो रही है तो वहां कभी सरकारी बिल्डिंग्स की इररेगुलरिटी पर चर्चा नहीं होती, किसी बड़े पूंजीपति की फैक्टरी या गोडाउन की चर्चा नहीं होती। अगर कोई गरीब आदमी अपना जीवन चलाने के लिए कोई व्यवसाय बनाता है लाल डोरे एरिया में, तो वहां पर इस देश के सारे कानून लागू हो जाते हैं। मैं आपको एनजीटी के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हौजखास विलेज बन्द करने का आदेश दे दिया गया। आज भी वहां लाल डोरा क्षेत्र में खाने के ऐसे फूड ज्वाइंट्स चल रहे थे, उन पर सरकार द्वारा यह कहकर ताले लगा दिए गए कि वे अपने नियमों को पूरी तौर पर लागू नहीं कर पाए।

मेरा यही निवेदन है कि हम एक्सटेंशन तो जरूर देने का काम करें मगर सरकार से आश्वासन भी जरूर चाहिए कि इस एक्सटेंशन के दौरान मास्टर प्लान भी उन लोगों के लिए बनेगा जिनके लिए आज कानून में हमारे पास कोई भी प्रावधान नहीं है। हम मास्टर प्लान के माध्यम से उन लोगों को वह राहत भी दिलाने का काम करेंगे कि आने वाले समय में उन लोगों के घर न टूटें, उनके गोदाम न टूटें और उनके स्कूल न टूटें।

उनके आज के दिन जो खाने-पीने के साधन के व्यवसाय हैं, उनको भी प्रोपर सिक्योरिटी देने का काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपको बिल पर बोलना हो तो ही बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष जी, आपने आदेश दिया है। मेरा भी अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के संबंध में चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोलने वाले सदस्य को बाधित नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष जी, इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान कहा गया लेकिन आज दिल्लीवासी को न रोटी मिल रही है, न कपड़ा मिल रहा है और न ही मकान मिल रहा है। उसको न पर्याप्त बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है, ...(व्यवधान) न ही शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास सुविधाएं मिल रही हैं। जो गरीब और दलित लोग हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ...(व्यवधान) दिल्ली देश की धड़कन है। यहीं पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस आपकी बात पूरी हो गयी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This will not go on record.

...(Interruptions) *

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, जो मैं बोल रहा हूं, क्या आप सुन पा रही हैं? मैं दो रोज से अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि चेयर से वार्ता तभी हो सकती है जब वैल में जाएं और अगर वैल में नहीं जाएं तो वार्ता नहीं होगी। यह गलत है। जो बिल यहां लाया गया है, चूंकि कानूनन दिल्ली फुल-फ्लैज्ड असैम्बली नहीं है और यह नेशनल कैपिटल टैरेटरी बिल पूरा केन्द्र के क्षेत्र में आता है, लेकिन पुरानी सरकार पर लांछन लगाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी को बाधित न करें। बोलने वाले सदस्य को बाधित न करें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am requesting you again and again that this is against the rule. सदस्य को बाधित नहीं करें।

...(व्यवधान)

SHRI MOHAMMAD SALIM: Madam, this is your duty to bring the House in order and you have to protect my right. I am sorry to say this that this is my right and it is your duty. Unless you bring the House in order, how can we pass a Bill which has such ramifications? इसका कारण सिर्फ ये सदस्य नहीं हैं। जब मंत्री महोदय ने बिना किसी बिल के दो बार भाण दे दिया, मंत्री संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं, ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It seems you do not want to speak on the Bill. Nothing will go on record.

...(Interruptions) *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam Speaker, I want to start by thanking all the hon. Members who have taken the floor to support the provisions of the Bill.

This Bill provides protection against punitive action on a number of categories and unless this Bill is passed by 31st of December 2017, Delhi will witness unprecedented chaos. Some of the chaos was started by my friends in the Congress Party whose actions for the many years that they were in power resulted in irresponsible, unauthorised constructions etc. and failure of governance of a very high order.

Madam, let me start by explaining the history of this issue. When India became an independent country, Delhi's population was less than 10 lakhs. In the 1951 census Delhi's population had gone up to 17 lakhs because of the ravages of the partition and the number of people who had come in from across the border.

According to the 2011 census, the population of Delhi was 167 lakhs. According to the estimate today which is the figure for 2016, Delhi's population should be around 186 lakhs. Today, we are witnessing phenomenal growth. This growth has consequences. These consequences are reflected in encroachment of public land, in the growth of slums, in unauthorised constructions, large scale commercialisation of residential areas and inadequacy of housing. The Master Plan of 2021 which as finalised in 2007 shows that the population of Delhi in 2021 will be 2.30 crores.

During this period, a large number of people like 22 lakhs have come in from other States within the country. We also have a large number of people who have come in from outside the country also. These are issues which are being dealt with separately.

The Delhi Laws Special Provisions Act was enacted in order to be able to provide cover against punitive action. This Bill today seeks to amend on an 'as is where is basis'. The law which was enacted in 2011 was extended till 2014. Then from 2014, it was extended upto 2017 and today, the 2017 Act is being extended on an 'as is where is basis' till 31st December, 2020.

The only two changes that are being brought in are regarding the seven categories which I will read out. In one of the categories in respect to street vendors, we already have a separate legislation which will provide protection to street vendors. These seven categories are slum dwellers and *jhuggi jhompri* clusters, urban street vendors which is proposed to be omitted from the Bill, unauthorised colonies, village abadi areas including urban villages and their extensions, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits, schools, dispensaries, religious and cultural institutions, storages, warehouses and go downs built on agricultural land, existing go downs, special areas, walled city, walled city extension in Karol Bagh, all other areas within the National Capital Region of Delhi.

Why are we seeking this extension? Speaking on this Bill, my distinguished predecessor said that it will be his best endeavour not to have to come back to seek an extension. But the hon. Member, Shri

Dushyant Chautala, while speaking, said that this is the failure of the Government. I want to remind that the Central Government, according to the directive of the hon. High Court is required to interact in a consultative process with the Government of Delhi, DDA and other authorities in order to be able to frame policies, devise guidelines and ensure orderly arrangement.

I want to remind the hon. Member, Shri Dushyant Chautala, that the Delhi Government gave an affidavit before the High Court in September this year saying that they require two more years in order to be able to complete the delineation of what is an unauthorised colony and what is an authorised colony in terms of the cut-off dates which are provided.

Now, one of the problems which we are facing is, meanwhile there is a separate sealing process which the hon. Supreme Court has started on.

Therefore, this Bill only deals with the issues which this Bill has dealt with in the past, that is, as is where is extension of the Bill of 2017. The only two amendments that are being made are to substitute the words "upto 31 December, 2017" by "upto 31 December, 2020" and removal of the street vendors legislation because on that, we have a separate legislation which has already seen the light of the day and which will afford protection.

Some Members raised the issue of unauthorised encroachment on DDA land and the demolition of the so-called hostel for blind students.

I want to set the record straight. This hostel was an unauthorised construction on the DDA land. They were served not one but four notices to shift. The DDA offered the adjoining hostel in order to shift the blind students who were there. But for a variety of reasons they decided to make it an issue in the Press.

Let me explain. This was an incident which took place on 15th December which is exactly 12 days ago. Now, we have a situation where the students have already been shifted to a proper hostel nearby. But the students are being made the excuse. As I mentioned to the hon. Member when he spoke to me, this is not an issue of blind students there. There were only a few inmates. They were already offered to be housed in proper school for the blind children in a nearby facility. But there is somebody taking advantage of this situation in order to run an unauthorised facility.

I want to take up one or two other issues which have been raised here. One of the issues raised by an hon. Member has been the equalisation of the conversion charges or the misuse charges, which was Rs. 89,000 earlier. In the Monitoring Committee Shri Bhure Lal and another hon. Member are participating. There have been some discussions that those affected by this sealing could pay a charge which comes to approximately Rs. 22,000 by way of misuse charge.

We are dealing with that issue. Several other issues have been raised by hon. Members which may be residual issues which are not covered by all the seven categories that I have mentioned. But it is only six

now because the whole business about the street vendors is now covered by a separate legislation.

After the passage of this Bill, I will consult the Ministry of Law, and all the other stakeholders. We need to ensure that within the time of extension that we will be provided by the passage of this Bill today, all the procedures are completed in consultation with the Delhi State Government and the other multi-stakeholders who are involved in the process so that we can finally get Delhi back to authorised construction.

I must confess that I was struck by some of the language used by the Supreme Court in its judgement on 15th December. Justice Lokur said, "Invaders have pillaged Delhi for hundreds of years, but for the last couple of decades it is being ravaged by its own citizens and officials governing the city Capital."

I want to appeal to all citizens, through your good offices madam and to those who have been in governance role in Delhi to now assume a more responsible role and to try and cooperate so that this plunder and pillaging of Delhi which has gone on for so many decades, including under their governance, is rectified.

I move now that the Bill be adopted.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Long Title

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Amendment of section 1

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

\

Clause 5 Amendment of section 3

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present in the seat.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

*m12

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.45 hrs

(iii) Re: Need to establish a separate High Court for Telangana

HON. SPEAKER: Shri Ravi Shankar Prasad, do you want to say something?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Madam Speaker, taking cognizance of the sentiments of my friends from Telangana about formation of a separate High Court, I have noted their suggestion. I will enquire about the facts and I will make some observations tomorrow. … (*Interruptions*)

15.47 hrs

(At this stage, Shri Konda Vishweshwar Reddy and some other hon. Members went back to their seats.)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, our Law Minister Shri Ravi Shankar Prasad has really taken cognizance of our feelings and said that he would come back to the House tomorrow with a statement. We would like to submit that many assurances have been given to us on this matter for the last 3 ½ years. So, when he comes back to the House tomorrow, I would request him to come with a concrete solution and tell us the time-bound programme as to when the Government is going to

create a separate High Court for the State of Telangana. For now, we allow the House to run properly. We will cooperate with you.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I request all of you to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब हमें जी.एस.टी. का बिल लेना है। प्लीज़ कोऑपरेट। ऐसे नहीं होता है। Please to back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जी.एस.टी. एक महत्वपूर्ण बिल है। आप सब प्लीज़ अपनी सीट्स पर वापस जाइये।

…(व्यवधान)

15.48 hours

–

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : मैडम, माननीय खड़गे साहब और अन्य सदस्य जिस मुद्दे के बारे में इतना आंदोलित हैं, उस विऐाय को दोपहर में भी उठाया गया था। हमने उस विऐाय का रिस्पॉन्स दिया है। ...(व्यवधान) डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, ...(व्यवधान) उस संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए., हमारे नेतृत्व तथा पूरे देश को अटूट विश्वास है। ...(व्यवधान) उसमें सेक्युलरिज़्म और बाकी विऐायों के बारे में जो बातें रखी गई हैं, उन सभी बातों के प्रति भारतीय जनता पार्टी नरेद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कमिटेड है। ...(व्यवधान) यह बात मैं उनको आश्वस्त कर चुका हूँ। ...(व्यवधान) इसलिए किसी बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करना और यहाँ हंगामा करना उचित नहीं है।

मैं आपके द्वारा एक बार पुनः यह निवेदन करूँगा कि सभी लोग अपनी सीटों पर जाएं और हाउस को चलने दें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगी। आई एम सॉरी। खड़गे जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

15.49 hrs

(At this stage, Shri K.H. Muniyappa and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाकी लोगों को पीछे जाने को तो बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ये सब मेरे साथ रहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये लोग आपकी सीट पर आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अभी आप इतने कमज़ोर तो नहीं हैं, खड़गे जी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं आपके साथ हूँ और ये लोग मेरे साथ हैं।

मैडम स्पीकर, यह जो मामला हमने उठाया था, यह एक गंभीर मामला है। इसके संबंध में एक यूनियन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे हम आपके नोटिस में लाकर सारे देश को यह बताना चाहते हैं कि एक मंत्री होते हुये उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जो मनुस्मृति थी, उसके जाने के बाद अब अंबेडकर स्मृति आई है, इसीलिए उसे बदलना है ...(व्यवधान) इसीलिए हम चुनकर आए हैं। ...(व्यवधान) दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो अपने को सेक्यूलर कहते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो गए हैं, यह बोल तो रहे हैं। आप बहुत सेक्यूलर हैं, बैठ जाइए... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो अपने को सेक्यूलर कहते हैं, न उनकी मां है, न बाप है।...(व्यवधान) उनका खून क्या है, मालूम नहीं है? इसका मतलब उनका बाप नहीं है, मां नहीं है तो क्या वे ...* हैं... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: आप यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसे शब्द यहां क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : ऐसे शब्द उन्होंने कभी नहीं कहे...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: ऐसा उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई नहीं बोलेगा। यह शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हमें नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है?

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Nobody knows, what he has said. प्लीज़, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलिए।

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं, उनको पकड़कर तो नहीं ला सकते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: No. It cannot go on like this.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this. I am sorry.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आप क्यों पढ़ रहे हैं?

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, केवल अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*...(Interruptions)**

HON. SPEAKER: It will not go on like this.

...(Interruptions) *

माननीय अध्यक्ष : केवल मेरे द्वारा कहे गए शब्द "Nothing will go on record" ही रिकॉर्ड करते रहिए, जब तक ये बोलना बंद नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow like this.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुनिए। पहली बात तो माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं। अनंत कुमार जी, जो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सारी बात को क्लीयर कर दिया है। आप इस तरह से कोई भी बात बोलकर मंत्री जी के मुंह में नहीं डाल सकते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow all these things here.

... (*Interruptions*)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, खड़गे साहब ने पूरे बयान को तोड़-मरोड़कर सदन के सामने पेश किया है... (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा और वह शब्द रिकॉर्ड में भी नहीं आना चाहिए।...(व्यवधान) खड़गे साहब का शब्द है, अनंत कुमार हेगड़े जी का शब्द कतई नहीं है। ऐसे शब्दों का वह कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे... (व्यवधान) मैं खड़गे साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के प्रति कटिबद्ध है, हम संविधान से कमिटिड हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास है। इसके अलावा मैं खड़गे जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को कृपया चलने दीजिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग भी समझिए। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसी तरह से हर रोज़ किसी न किसी बात पर यह होगा। लेकिन लोगों के विश्वास को कायम रखते हुए अपनी भाऐगा पर कंट्रोल रखने की हम सभी को आवश्यकता है। यहां रोज़-रोज़ कोई नई चीज लाकर हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। बहुत से महत्वपूर्ण बिल पारित करने हैं। इसलिए आप सभी लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और मुझे सहयोग कीजिए।

…(व्यवधान)

15.54 hrs

–